न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 14/21 GCMS NO 2021/70

1. फूलचंद पुत्र नानगराम
2. बाबूलाल पुत्र नानगराम(मृतक)
   2/1. श्रीमती रामपति पत्नि स्व0बाबूलाल
   2/2. दिलखुश पुत्र स्व0बाबूलाल
   2/3. हेमराज पुत्र स्व0बाबूलाल
   2/4. जितेन्द्र पुत्र स्व0बाबूलाल
   2/5. सत्यनारायण पुत्र स्व0बाबूलाल
   2/6. लाखन्ती पुत्री स्व0बाबूलाल
   2/7. संगीता पुत्री स्व0बाबूलाल
3. हरफूल पुत्र नानगराम (मृतक)
   3/1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि स्व0हरफूल
   3/2. मनचीती पुत्री स्व0हरफूल
   3/3. निरमा पुत्री स्व0हरफूल
   3/4. विमला पुत्री स्व0हरफूल
   3/5. हरिराम पुत्र स्व0हरफूल
   3/6. श्रीराम पुत्र स्व0हरफूल
   3/7. लोकेशा पुत्र स्व0हरफूल समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. फूली देवी पुत्री नानगराम पत्नि रामनिवास मीना निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी ग्राम बनोटा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. केलादेवी पुत्री नानगराम पत्नि हनुमान मीना निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी ग्राम सीनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. नर्वदा देवी पत्नि नानगराम पत्नि श्रीनिवास मीना निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी ग्राम सीनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. हनुमान पुत्र लोहडक्या
5. मूलचंद पुत्र लोहडक्या
6. लखपत पुत्र सीताराम
7. ठण्डी पुत्र सीताराम
8. आशाराम पुत्र सीताराम
9. राजेश पुत्र प्रभूदयाल
10. विजयसिह पुत्र प्रभूदयाल समस्त जातियान मी[illegible]यान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
11. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बर[illegible] [illegible]र सवाई माधोपुर
12. सरकार जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
13. सरकार जरिये अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रेस्पा0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील विरूद्ध मु0नं0 46/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री भंवर सिह जादौन

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल बहाव

दिनांक 26.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 4 ता 10 द्वारा एक दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती तहत दफा 88 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक ही गांव के रहने वाले एवं एक ही परिवार के व्यक्ति है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। सजरा खानदान मे अंकित लोहडक्या के पुत्र सीताराम व प्रभूदयाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण 3 लगायत 7 है। वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 के पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना निवासी भगवतगढ की कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक भूमि खसरा न0 1948 रकबा 18 विस्वा जिसके हाल नवीन खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 चाही ग्राम भगवतगढ मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 3 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमियो का मौके पर तकासमा कर रखा है और उक्त भूमि वादीगण के हिस्से मे आने पर वादीगण अपनी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पूर्वज सुखदेवा ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि साबिक खसरा न0 1948 रकबा 18 विस्वा को गणपत लाल पुत्र परसराम महाजन निवासी भगवतगढ के यहॉ रहन रखी थी और उसकी मृत्यु पश्चात उसके पुंत्र चांदनारायण पुत्र गणपतलाल जाति महाजन के यहॉ रहन चली आ रही थी। जिसके रहन मुर्तहीन के इन्द्राजात दस साला के राजस्व रिकार्ड मे हो रहे है। लेकिन वादीगण के पूर्वज सुखदेवा ने रहन राशि चुकता कर राजस्व रिकार्ड से रहन मुर्तहीन का इन्द्राजात समाप्त करवाया। लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति मीना के स्थान पर सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन अंकित कर दिया जबंकि सुखदेवा पुत्र बिरधा महाजन नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भगवतगढ मे ही नही है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियो की गलती से जाति मीना के स्थान पर महाजन दर्ज कर दी गई। जो दुरूस्त होने योग्य है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले है जिनको राजस्व कर्मचारियो के द्वारा की गई गलती की कोई जानकारी नही थी लेकिन अभी हाल वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि नवीन खसरा न0 3377 मे सडक निकलने की अखबार मे सूचना प्रकाशित हुई [illegible] की उक्त भूमि सडक मे आ जाने पर वादीगण ने जमाबंदी की [illegible] की। [illegible] पता चला कि वादीगण के पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति मीना के स्थान पर जाति [illegible] वादीगण ने पटवारी हल्का से जानकारी की तो पटवारी हल्का ने बताया कि रिकार्ड मे जाति को दुरूस्त करवाओ इस पर वादीगण ने साबिक रिकार्ड की नकले निकलवाई तक पूरी जानकारी होने से राजस्व कर्मचारियो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की गलती की जानकारी हुई। इसलिए वादीगण अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई जाति की गलती को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि साबिक आराजी खसरा न0 1948 रकबा 18 विस्वा जिसके हाल खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम भगवतगढ के वादीगण खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे घोषित किया जावे उक्त खसरा न0 3377 से सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन के स्थान पर जाति मीना अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त फरमाया जाकर तथा सुखेदवा के स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे रिकार्डस आफ राईट्स मे अंकन फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट /प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के विपरीत एवं रूयेदाद मिसल व खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 न0 4 लगायत 10 वादीगण व वादीगण मूलचंद के लडके बत्तीलाल ने रेस्पो0 न0 11 के तामि़ल कुनिन्दा से साज कर अपीलांटगण की तामिल मे अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर, फर्जी अगूठा निशानी कर फर्जी रूप से तामिल करवाकर तथा फर्जी तामिले अधिनस्थ न्यायालय मे पेश कर दी जिसके कारण अपीलांटगण 1 लगायत 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई, तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जिसमे अपीलांट न0 1 लगायत 3 को सुनवाई का मौका नही मिला । इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 न0 4 लगायत 10 ने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश वाद पत्र के मद न0 1 मे सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना का सजरा खानदान गलत पेश किया है। जिसमे वादीगण ने नानकराम की तीन पुत्री फूलीदेवी,केलीदेवी,नर्वदा देवी(रेस्पो0 1 ता 3) को वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है जो कि उपरोक्त प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार थी। तथा उपरोक्त वादपत्र मे उनका हित निहित था तथा नानगराम की तीनो पुत्री रेस्पो0 1 लगायत 3 को उपरोक्त प्रकरण मे बिना सुने ही एक पक्षीय रूप से निर्णय कर दिया जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण (रेस्पो0 4 लगायत 10) ने मृतक सीताराम की विधवा श्रीमती धोली देवी व पुत्री आशा बाई को भी पक्षकार नही बनाया है तथा मृतक प्रभूदयाल की विधवा श्रीमती संतोषदेवी व पुत्री रेखा व पूजा को भी पक्षकार नही बनाया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 21.10.19 को प्र[illegible] मौके एवं रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट के मद न0 1 मे अंकन किया है कि बिन्दु संख्या [illegible] प्रमाणित सजरा जो वादीगण ने अंकित किया है कि जिसमे सुखदेवा पुत्र विरधा मीना निवासी भगवतगढ के वारिसान मे जिवित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पुत्रियों एवं बेवा का नाम अंकित नही किया है तथा मुताबिक रिकार्ड नानगा उर्फ नानगराम के 3 जिवित पुत्रीयां है तथा मृतक सीताराम के एक जिवित पुत्री आशा बाई व बेवा धोली देवी मौजूद है। तथा मृतक प्रभू की पत्नि व पुत्रीयां अंकित नही है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट पत्रावली मे मौजूद होने एवं सुखदेवा पुत्र विरधा मीना के सभी जिवित वारिसानो को पक्षकार नही बनाये जाने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत करने के बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा की मृत्यु होने के कारण , मृतक सुखेदवा की विरासत का नामा0 उनके वारिसान के नाम खोलने का आदेश देना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे बिना किसी साक्ष्य व सबूत के वादीगण को मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा के उत्तराधिकारी घोषित कर विधि विरूद्व तरीके से मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा के खातेदारी की भूमि पुराने खसरा न0 1948 रकबा 18 विस्वा व नवीन खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 को वादीगण 1 ता 7 की खातेदारी मे अंकन करने का निर्णय पारित कर यिा जबकि मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा के उत्तराधिकारियो की घोषणा करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट मे वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से काश्त करना बताया है तथा राजस्व रिकार्ड व मौके के अनुसार सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना के बैध वारिसान का मौके पर कब्जा काश्त होना पाया गया है। मौका रिर्पोट मे लिखा गया है। जबकि निर्णय दिनांक 3.2.21 के मद न0 10 मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के विरूद्व जाकर गलत तरीके से अपनी मर्जी से लिखा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 पर वादीगण का कब्जा काश्त है । जिसके कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है तथा मुकेश मीना सरपंच ग्राम पंचायत भगवतगढ ने भी वादीगण से मिलकर साजकर, मृतक सुखदेवा मीना का गलत सजरा पेश किया है। दिनांक 2.3.21 को रेस्पो0 न0 4 लगायत 10 ने ग्राम भगवतगढ मे अपीलांट 1 ता 3 से आकर ऐलानिया कहा कि उन्होने अपीलांटगण के दादाजी मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 3377 रकबा 0.23 है0 को उनके नाम लगवा लिया है तथा उपरोक्त आराजी मे से होकर सुपर एक्सप्रेस हाईवे निकलने के कारण उपरोक्त आराजी का मुआवजा रेस्पो0 4 लगायत 10 रेस्पो0 संख्या 13 अतिरिक्त जिला कलैक्टर के यहॉं से शीघ्र उठाने वाले है। इस पर अपीलांट हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 3.2.21 से रेस्पो0 4 लगायत 10 के नाम मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना की विरासत का नामा0 संख्या 1429 दिनांक 12.2.21 को खोल दिया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर नकल प्राप्त की जाकर अपील जानकारी कि दिनांक से अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय [illegible] के अनुसरण मे खोला गया नामा0 संख्या 1429 दिनांक 12.2.21 को निरस्त फरमाया [illegible] कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील बिलकुल गलत एवं निराधार आधारो पर प्रस्तुत की गई है। जो निरस्त होने योग्य है। प्रकरण मे वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना की साबिक आराजी खसरा न0 1948 रकबा 18 विस्वा जिसमे सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 बने है। सुखदेवा ने अपनी उक्त आराजी गणपतलाल पुत्र परसराम महाजन के यहॉ रहन रखी थी जिसका इन्द्राज दस साला रिकार्ड मे रहन मुर्तहीन के इन्द्राजात है और जब गणपतलाल की मृत्यु हुई तब उसके वारिस चांदनारायण पुत्र गणपतलाल महाजन के नाम रहन मुर्तहीन के इन्द्राज हुए। रेस्पो0 के पूर्वज सुखदेवा मे रहन की राशि चुकता कर राजस्व रिकार्ड की रहन मुर्तहीन से समाप्त करवा लिया लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती के कारण जब संवत 2037–40 की जमाबंदी बनी तब उसमे गलती से रेस्पो0 के पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना के स्थान पर सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन अंकित कर दिया। जबकि ग्राम भगवतगढ मे सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन नाम का कोई व्यक्ति ही नही है। जिसको दुरूस्त कराने हेतु रेस्पो0 हनुमान,मूलचंद, लखपत, ठण्डी,आशाराम ,राजेश ,विजय सिह ने अधिनस्थ न्यायालय मे फूलचंद बाबूलाल हरफूल व तहसीलदार के विरूद्व दावा प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पो0 वादीगण द्वारा अंकित किया कि उक्त नवीन खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 पारिवारिक बंटवारे मे रेस्पो0 वादीगण के हिस्से मे आने पर वादीगण ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा सुखदेवा की जाति महाजन के स्थान पर मीना जाति दुरूस्त करवाकर वादीगण रेस्पो0 के नाम खातेदारी करवाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। दावा प्रस्तुत करने पर साक्ष्य वादीगण करवाई ज़ाकर राजस्व दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया है और अपीलांट प्रतिवादीगण की असालतन तामील होने के उपरान्त भी जब प्रतिवादीगण अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए तब अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पो0 की और से प्रस्तुत वाद पत्र दिनोंक 3.2.21 को डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कमी या अनियमितता नही है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील निरस्त होने योग्य है। वादीगण रेस्पो0 नवीन खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम भगवतगढ पर निरन्तर काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग मे लेते चले आ रहे है तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड का अंकन हो चुका है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील रेस्पो0 को अनावश्यक नुकसान पहुॅचाने की गरज से प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण/रेस्पो0 के हिस्से मे खसरा न0 3377 की भूमि पारिवारिक समझोते मे आने के कथन कि पुष्टि इस बात से होती है कि वादीगण/रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा न0 3216 रकबा 0.26 है0 मे से 0.1613 है0 भूमि राजमार्ग 148 एन मे अवाप्त होने के कारण उसमे स्थित परिसम्पति एवं वृक्षो की मुआवजा राशि अपीलांट प्रतिवादीगण के द्वारा प्राप्त कर ली है लेकिन अब अपीलांट के मन मे बेईमानी आ जाने के कारण उन्होने वादीगण/रेस्पो0 की [illegible] हडपने की गरज से यह अपील प्रस्तुत की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। [illegible] द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे अंकित सजरा खानदान अनुसार सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना के दो पुत्र क्रमश लोहडक्या एवं नानगराम थे। लोहडंक्या के हनुमान,सीताराम,प्रभूदयाल व मूलचंद वारिस रहे है एवं इसी प्रकार नानगराम के मूलचंद,बाबूलाल हरफूल वारिसान रहे है। इससे यह स्पष्ट है मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रहा है। जमाबंदी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम भगवतगढ मे विवादित आराजीयात खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 की खातेदारी सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति कोम महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है कि उनके पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा द्वारा उक्त आराजीयात गणपतलाल पुत्र परसराम महाजन के यहॉ रहन रखी थी जिसका इन्द्राज दस साला रिकार्ड मे रहन मुर्तहीन के इन्द्राजात है और जब गणपतलाल की मृत्यु हुई तब उसके वारिस चांदनारायण पुत्र गणपतलाल महाजन के नाम रहन मुर्तहीन के इन्द्राज हुए। जो जमाबंदी सम्वत 2017 से 2020 से स्पष्ट है जिसमे चांदनारायण पुत्र गणपतलाल जाति महाजन के नाम राहिन दर्ज है। रेस्पो/वादी का कथन रहा कि रेस्पो/वादीगण के पूर्वज सुखदेवा द्वारा रहन की राशि चुकता करवाकर रहन से मुक्त करवा लिया परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज सुखदेवा जाति मीना के स्थान पर जाति महाजन का अंकन हो गया था। जिसे वादीगण/रेस्पो0 दुरूस्त कराने का अधिकार रखते है। रेस्पो/वादीगण के इस कथन से हम सहमत है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री मे उक्त विवादित आराजीयात ख0न0 3377 रकबा 0.23 है0 भूमि को राजस्व रिकार्ड मे वादीगण/रेस्पो0 के नाम दर्ज करने के आदेश किस आधार पर दिये गये है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति मीना के वारिसान है। वादीगण/रेस्पो0 का कथन रहा कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा न0 3377 की भूमि पारिवारिक समझोते मे वादीगण को प्राप्त हुई है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा न0 3216 रकबा 0.26 है0 मे से 0.1613 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 148 ए मे अवाप्त होने के कारण उसमे स्थिति परिसम्पति एवं वृक्षो की मुआवजा राशि अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त कर ली गई है, परन्तु इस तथ्य के समर्थन मे वादी/रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके। अपीलांट का कथन रहा कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा मृतक नानगराम की पुत्रियो एवं पत्नि को दावे मे पक्षकार नही बनाया गया है इसी अनुसार मृतक सीताराम की पत्नि एवं पुत्रियो को भी पक्षकार नही बनाया गया है जिसके बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख है किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 पर मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा कोम मीना के बैध वारिसान [illegible] गया है। इस प्रकार मृतक सुखेदवा पुत्र बिरधा जाति मीना की समस्त खातेदारी [illegible] उसके विधिक वारिसान का हक निहित होता है। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] अनदेखी कर केवल मात्र वादीगण/रेस्पो0 के एक पक्षीय तथ्यो को स्वीकृत मानते हुए खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम भगवतगढ सुखदेवा के स्थान पर वादीगण के [illegible] राजस्व रिकार्ड एवं रिकार्ड आफ राईटस मे अंकन करने के आदेश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिक्री वादीगण/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर पारित की गई है। जबकि उक्त विवादित आराजीयात मे अपीलांटगण एवं मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति मीना के अन्य विधिक वारिसान का भी हक निहित है। जिनको वादीगण/रेस्पो0द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया है। जिसके कारण मृतक सुखेदवा पुत्र बिरधा के अन्य विधिक वारिसानो का उक्त भूमि ख0न0 3377 के बाबत हक एवं अधिकारो का हनन हुआ है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन के स्थान पर सुखेदवा पुत्र बिरधा जाति मीना की हद तक स्वीकृत योग्य है एवं खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम भगवतगढ सुखदेवा के स्थान पर वादीगण/रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड एवं रिकार्डस आफ राईटस मे अंकन करने निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 46/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 मे आराजी खसरा न0 3377 रकबा 0.23 है0 सुखदेवा के स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड एवं रिकार्डस आफ राईटस मे अंकन करने बाबत दिये गये निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाता है शेष जाति के नाम का शुद्धीकरण निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति मीना निवासी भगवतगढ के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनायां जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहाँ दिनांक 25.6.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:20 IST
Reason: SelfAttested